पुलिस विभाग अजमेर

प्रेस नोट 07.01.2018

स्थायी वारण्टी में एक वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना केकडी में ओमप्रकाश मय राजकिरण , रामराज के द्वारा स्थायी वारण्टी रामफूल पुत्र सीताराम जाति खटीक उम्र 40 साल निवासी तसवारिया पुलिस थाना केकडी जिला अजमेर को चैक अनादरण के सात मामलों में लम्बे समय से तारिख पैशी से फरार चलने पर न्यायालय द्वारा जारी सात स्थाई वारण्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।

स्थाई वारण्टी वारण्टी गिरफ्तार

पुलिस थाना आदर्शनगर पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के द्वारा चलाये अभियान के तहत पुलिस थाना आदर्शनगर आगामी लोकसभा उप चुनाव को मध्यनजर रखते हुए वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के द्वारा चलाये अभियान के तहत पुलिस थाना आदर्शनगर की टीम राजपाल सिंह समर्थ सिंह सुरेश द्वारा न्यायालय श्रीमान जे.एम. 4 द्वारा जारी स्थाई वारण्ट में वांछित अपराधी महावीर सिंह पुत्र बीजा सिंह जाति रावत उम्र 24 साल नि.

आम का बेरा ग्राम माखुपुरा थाना आदर्शनगर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

आर्म्स एक्ट मे एक मुल्जिम गिरफतार, मुकदमा दर्ज

पुलिस थाना रामगंज में थानाधिकारी अजयकांत पुनि के निर्देशन मे मुकेश कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा सांसी बस्ती भगवानगंज अजमेर पर मुल्जिम राकेश उर्फ लाला पुत्र श्यामलाल जाति सांसी उम्र 19 साल निवासी सरकारी स्कूल के पास सांसी बस्ती भगवानगंज थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से बिना लाईसेंस के अवैध रूप से निर्धारित नाप से लंबा एक धारदार छुर्रा पाया जाने पर धारदार छुर्रा को जप्त कर मुल्जिम को गिरफतार किया जाकर मुल्जिम के विरूद्व मुकदमा नं 08/18 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मे दर्ज किया गया।

शांती व्यवस्था भंग करने पर 4 गिरफतार

पुलिस थाना रामगंज में शांती व्यवस्था भंग करने पर 1– हेमंत सिंह सेवरिया पुत्र दुर्गा सिंह जाति कोली उम्र 24 साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर 2– मनीष कुमार पुत्र किशनलाल जाति धानका उम्र 28 साल निवासी क्वाटर नं. 482 ऑल सेंट स्कूल के पीछे थाना रामगंज अजमेर 3–अनिल कुमार पुत्र रामगोपाल जाति कोली उम्र 21

साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर 4– खेमचंद पुत्र राजकुमार जाति कोली उम्र 21 साल निवासी रोजमेल प्रेस गौतम नगर थाना रामगंज अजमेर को धारा 151 जाफौ मे गिरफतार किया गया।

अवैध देशी शराब सहित एक आरोपी गिरफ्तार

जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जोगेन्द्र राठौड पु0 सीताराम छोटूराम मय सरकारी जीप के मय अनुसंधान बोक्स मय लेप टोप मय प्रिन्टर के टास्क कार्यवाही हेतु थाना हाजा से रवाना भटट गैस्ट हाउस के पास पहुंचा तो जहा पर मुखविर खास ने एसएचओ को इतला दी कि चैनपुरिया मे एक व्यक्ति शराब बेच रहा है उक्त इतला मोमिन होने पर हमरा जाप्ता को अवगत करवाया गया व स्वतंत्र गवाह लाने हेतू सीताराम को मुनासिव हिदायत कर रवाना किया गया जिसने कुछ समय बाद ही आकर बताया कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट में गवाही के चक्कर में नहीं पडने के कारण गवाह बनने के लिये तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में हमरा जाप्ता में से सीताराम छोटूराम को स्वतंत्र गवाह मामूर किया जाकर मौखिक रुप से सहमती प्राप्त की गई। भटट गैस्ट हाउस से रवाना होकर चैनपुरिया गोपाल जी के फार्म से थोडा आगे पहॅुचे तो एक व्यक्ति मुतावित इतला मुखविर के तिराहे के पास दिवार के पास शराब बेचता नजर आया जो कि पुलिस की जीप को देखकर जाने लगा जिसे हमरा जाप्ता ने व मन एसएचओ ने रोका व नाम पता पूछा तो अपना नाम शोभराज पुत्र नोरत जाति मेहरा उम्र 28 साल निवासी चेनपुरिया थाना मदनगंज जिला अजमेर

का होना बताया व शोभराज के पास एक कार्टून मिला जिसको देखा गया तो कार्टून में देशी शराब के पब्बे भरे हुये पाये गये शोभराज से उक्त शराब के बारे में पुछा गया तो गल्ती की माफी चाहने लगा श्री शोभराज से उक्त शराब को अपने कब्जे में रखने व बेचने बावत परमिट व लाईसेन्स मॉगा गया तो अपने पास परमिट व लाईसेन्स नहीं होना बताया श्री शोभराज का यह कृत्य धारा 19/54 एक्साईज एक्ट की हद तक पहुॅचने पर कार्टून को खोलकर पब्बे गिने गये तो कुल 20 पब्बा देशी शराब के होना पाया गया जिन्हे कब्जे पुलिस लिया गया। 20 पब्बा प्लास्टिक के जिसमें देषी शराब ढोला मारु स्ट्रांग देशी शराब 180 एमएल 40 यूपी विनटेज डिस्टिलर्स लिमीटेड 117 एमआईए अलवर राजस्थान के मिले। 20 पब्बा देषी मदिरा सादा में से एक पब्बा बतौर नमूना सेम्पल लिया जाकर पब्बा को शील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया शेष बचे 19 पब्बो को उसी कार्टून में रखकर शील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। मुलजिम शोभराज को जरिये फर्द गिरफतार किया गया। फर्द जप्ती पर नमूना शील अंकित की गई बाद कार्यवाही के हाजिर थाना आया हालात उच्च अफसरान बाला को निवेदन किये गये आदि पर मु0 न0 01/2018 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में कायम कर तफतीश श्री हनुमान सहाय एसआई के जिम्मे की गई प्रतिया एफआईआर नियमानुसार जारी की गई जप्त शुदा माल व नमूना सेम्पल को जमा माल खाना करवाया गया एवम मुलजिम शोभराज को बन्द हवालात किया जाकर मामूरा संतरी को सुपुर्द किया गया।

8 गिरफ्तारी वारंटी व एक स्थायी वारंटी गिर

पुलिस थाना कि.गंज अजमेर ने एक टीम विशेष का गठन कर लोकसभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते 8 गिरफतारी वारंटी व 1 स्थायी गिरफतारी वारंटी को गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।

शांति भंग के आरोप में गिरफतार

पुलिस थाना कि.गंज में गैरसायल पक्ष बाबू पुत्र सुबान जाति चीता उम्र 40 वर्ष निवासी चौरसियावास ईदगाह रोड अजमेर व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम सुभान पुत्र जफरू जाति चीता उत्र 69 साल निवासी ईदगाह कॉलोनी विक्रम स्कुल के पास थाना क्रिश्चियन गंज अजमेर द्वारा दुसरे पक्ष मुकेश कुमावत पुत्र रामलाल उम्र 35 साल जाति कुमावत निवासी जम्बेश्वर कॉलोनी ईदगाह रोड थाना क्रिश्चियन गंज अजमेर व कैलाश कुमावत पुत्र रामलाल जाति कुमावत उम्र 36 साल निवासी ईदगाह रोड जम्बेश्वर नगर वैशाली नगर अजमेर द्वारा आपस में लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 जा.फौ. में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया। तथा गैरसायलान 1 रमेश पुत्र नारायण प्रकाश उम्र 67 साल जाति माथुर निवासी पुष्कर बाईपास गांव माकडवाली 2 मुकेश पुत्र मदन लाल उम्र 42 साल जाति खटीक निवासी कमला बावडी थाना गंज अजमेर व 3 हाकम पुत्र जफरू उम्र 30 साल जाति चीता निवासी चौरसियावास रोड मस्जिद के पिछे अजमेर को लोकसभा उप चुनाव को मध्य नजर रखते हुए लड़ाई झगड़ा कर शांति व्यवस्था भंग करने पर धारा 151 जा.फौ. में गिरफतार कर पेश न्यायालय किया गया।